#### भारत सरकार

# शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

### लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5069 उत्तर देने की तारीख: 04.04.2022

## अल्पसंख्यक छात्रों पर महामारी का प्रभाव

## +5069. श्री राजबहादुर सिंह:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या कोविड महामारी के कारण अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों की शिक्षा तक पहुंच प्रभावित हुई थी और यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;
- (ख) सरकार द्वारा शैक्षणिक उत्थान और पेशकश की गई छात्रवृत्तियों से मध्य प्रदेश के लाभार्थियों की संख्या का डेटा क्या है;
- (ग) क्या 2020-21 में विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में नामांकित होने वाले अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) 2015 के बाद से गैर-अल्पंख्यकों की तुलना में अल्पसंख्यकों की साक्षरता और निरक्षरता का राज्य-वार/वर्ष-वार डेटा क्या है: और
- (इ.) क्या विशेषकर अल्पसंख्यक व्यस्कों और महिलाओं के शैक्षिक उत्थान के लिए किसी योजना की पेशकश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषकर मध्य प्रदेश में कौन सी विशेष योजना शुरू की गई है?

# उत्तर शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): कोविड-19 महामारी के प्रसार ने दुनिया भर में स्कूली शिक्षा को प्रभावित किया है। छात्रों को नोवेल कोविड -19 (कोरोना) वायरस से बचाने के लिए एहितयात के तौर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में स्कूल बंद कर दिए गए। इससे प्री-स्कूल से कक्षा 12 के छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई है। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। महामारी के दौरान, शिक्षा मंत्रालय ने कोविड -19 महामारी के विभिन्न पहलुओं का आकलन करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कई परामर्श किए हैं।

लॉकडाउन के दौरान और बाद में छात्रों के बीच अंतराल और/या अधिगम हानि से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने 'वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर' तैयार किया है जो कक्षा 1 से 12 के लिए सप्ताह-वार योजना है। इसमें पाठ्यक्रम में शीर्षकों/विषयों से संबंधित रुचिकर गतिविधियाँ और चुनौतियाँ शामिल हैं। यह अधिगम परिणामों के साथ शीर्षकों/विषयों की मैपिंग करता है और विभिन्न तरीकों से छात्रों की अधिगम प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों/अभिभावकों को सुविधा प्रदान करता है। साथ ही, उन शिक्षार्थियों के लिए ई-संसाधनों के लिए लिंक प्रदान किए गए हैं जिनकी इंटरनेट तक पहुंच है। एनसीईआरटी ने स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों के लिए बहुत-सी गतिविधियों सहित सेतु पाठ्यक्रम भी तैयार किया है, जो अधिगम अंतराल को पाटने में सहायक है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्येक कक्षा के लिए प्रारंभिक एक या दो माह के लिए शिक्षण-कक्षों में स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल/ सेतु पाठ्यक्रम तैयार और कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय ने अधिगम हानि को कम करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य हितधारकों के साथ एक व्यापक कोविड कार्य योजना साझा की है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा समग्र शिक्षा के तत्वावधान में 05.07.2021 को "नेशनल इनिशिएटिव फोर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टेंडिंग एण्ड न्यूमरेसी (निपुण भारत)" नामक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। राष्ट्रीय मिशन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्राथमिकताएं और कार्रवाई योग्य एजेंडा निर्धारित किया गया है ताकि कक्षा 3 तक हर बच्चे को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान में दक्षता प्राप्त हो। कक्षा 1 के छात्रों के लिए विद्या प्रवेश मॉड्यूल शुरू किया गया है। यह कक्षा-। में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए एक खेल आधारित 3 माह का स्कूल तैयारी कार्यक्रम है।

इसके अतिरिक्त, पीएम ईविया नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है, जिसमें शिक्षा तक मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम बनाने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत किया गया है। इस पहल में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

- दीक्षा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री: और सभी कक्षाओं के लिए क्यूआर कोडित एनर्जाइज्ड पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म)
- कक्षा 1 से 12 तक प्रति कक्षा एक निर्धारित स्वयम प्रभा टीवी चैनल (एक कक्षा, एक चैनल)
- रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट का व्यापक उपयोग- शिक्षावाणी
- डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम (डेज़ी) और एनआईओएस वेबसाइट/यूट्यूब पर सांकेतिक भाषा में दृष्टिबाधित और श्रवण बाधितों के लिए विकसित विशेष ई-सामग्री

स्वयम, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है और यह शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों, पहुंच, समता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य सर्वाधिक वंचितों सिहत सभी के लिए सर्वोत्तम शिक्षण संसाधन लेना और छात्रों के लिए डिजिटल अंतर को पाटना है।

जहां डिजिटल सुविधा (मोबाइल डिवाइस/डीटीएच टेलीविजन) उपलब्ध नहीं है, वहां शिक्षा मंत्रालय ने कई पहल की हैं जैसे सामुदायिक रेडियो स्टेशन और सीबीएसई की शिक्षा वाणी नामक पाँडकास्ट, शिक्षार्थियों के घर पर पाठ्यपुस्तकें, वर्कशीट, 21वीं सदी के कौशल पर हैंडबुक उपलब्ध कराई गई और समुदाय/मोहल्ला कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। समग्र शिक्षा के तहत नवाचार कोष का उपयोग मोबाइल स्कूल, वर्चुअल स्टूडियो, स्कूलों में वर्चुअल क्लास रूम स्थापित करने, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे दूर-दराज/ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां ऑनलाइन कक्षाएं कठिन हैं, सतत अधिगम योजना (सीएलपी), प्री-लोडेड टैबलेट के लिए किया गया है। इसके अलावा, प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों को निरंतर व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करने के लिए, इस विभाग ने अक्टूबर, 2020 में दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया।

(ख): शिक्षा मंत्रालय ने 2018-19 से स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना - समग्र शिक्षा शुरू की है। यह स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए प्री-स्कूल से कक्षा XII तक एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवतापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें 'स्कूल' की प्री-स्कूल, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में परिकल्पना की गई है और आरटीई अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की गई है।

इसके अलावा, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर जेंडर अंतर को कम करने के लिए, समग्र शिक्षा के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) का प्रावधान है, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे वंचित समूहों से संबंधित लड़कियों के लिए कक्षा VI से कक्षा XII तक आवासीय विद्यालय हैं। 10.03.2022 की स्थिति के अनुसार, 6,65,130 लड़कियों के नामांकन के साथ कुल 5,018 केजीबीवी कार्यात्मक हैं, जिनमें से 408 केजीबीवी मध्य प्रदेश में 51,593 लड़कियों के नामांकन के साथ कार्यात्मक हैं।

2014-15 से 2020-21 तक मध्य प्रदेश में शैक्षिक उत्थान योजनाओं और छात्रवृत्ति से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या हैं: 8,49,667 (प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना-7,12,023, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना- 1,18,928 और मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना - 18,716)।

(ग): शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई+) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए अल्पसंख्यक छात्रों का नामांकन (स्कूलों में) नीचे सारणीबद्ध है:

वर्ष	नामांकन
2017-18	44175641
2018-19	44459140
2019-20	47465328

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) के अनुसार, उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यक छात्रों का नामांकन नीचे सारणीबद्ध है:

वर्ष	नामांकन
2017-18	2645236
2018-19	2827104
2019-20	2988610

(घ): जनगणना-2011 के अनुसार साक्षरता और निरक्षरता के लिए राज्यवार आंकड़े यहां उपलब्ध हैं: https://censusindia.gov.in/2011census/Religion PCA.html

(इ.): शिक्षा मंत्रालय मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक योजना (एसपीईएमएम) लागू कर रहा था जिसमें मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) और अल्पसंख्यक संस्थानों के बुनियादी ढांचे के विकास (आईडीएमआई) की योजना शामिल थी। एसपीईएमएम को अब वितीय वर्ष 2021-22 यानी 01.04.2021 से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में अंतरित कर दिया गया है। एसपीईएमएम एक स्वैच्छिक और मांग आधारित योजना थी। एसपीक्यूईएम का उद्देश्य मदरसों और मकतबों जैसे पारंपरिक संस्थानों को अधिकतम 03 शिक्षकों और शिक्षक-अधिगम सामग्री की सहायता द्वारा अपनी पाठ्यचर्या में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषयों के माध्यम से आधुनिक शिक्षा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वितीय सहायता प्रदान करना था। आईडीएमआई का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के लिए औपचारिक शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों (प्राथमिक/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों) में स्कूल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर और उसे मजबूत बनाकर अल्पसंख्यकों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है।

\*\*\*\*